3/5/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] हव। अन्य राज्य कार्य [illegible] अतः पत्रावली पूर्वानुसार 13/6/24 को पेश हो।

13/6/24 पत्रावली पेश हुई। नजीक प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को दिनांक 5/10/23 को अप्रार्थना की तामील रजिस्टर्ड डाक ए.डी. के आदेश 12 के तहत की। प्रार्थी ने आज दिनांक तक डाकखर्च रसीदें व ट्रेक रिपोर्ट पेश नहीं कि अगामी पेशी पर आवश्यक रूप पेश कर अन्तिम अवसर दिया जाता है अन्यथा अन्तर्गत 09 R 5 C 8 के तहत खारिज किया जायेगा। पत्रावली वास्ते डाकखर्च रसीदें व ट्रेक रिपोर्ट दिनांक 20/6/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

20/6/24 पत्रावली पेश हुई। [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/7/24 को पेश हो। [illegible] हव।

19/7/24 पत्रावली अन्य राज्य कार्य में व्यस्त अतः पत्रावली पूर्वानुसार दि. 22/8/24 को पेश हो।

22/8/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बस अदालत प्रार्थी व उसके अधिवक्ता की बार-बार तलब लगवाई गई। उसकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रकरण अग्रिम कार्यवाही अग्रिम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फोलियो अलग रखी जाए। से का दिनांक बाद [illegible] दाखिल पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

श्री अशोक वर्मा एडवोकेट ने पेश किया। Process के समक्ष दिनांक 21/7/23 को पेश हो।
21/7/23

R/ & report 21/7/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर।

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या: 88 /2023

मंगला पुत्र स्व श्री ग्यारसा जाति मीणा, निवासी– ग्राम सूरजपुरा घाटी, टोंक रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।

1/1 रामलाल पुत्र स्व0 श्री मंगलाराम निवासी– ग्राम सूरजपुरा घाटी, टोंक रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. नहनू राम उर्फ नानू पुत्र स्व0 श्री ग्यारसा मीणा जाति मीणा निवासी– निवासी– ग्राम सूरजपुरा घाटी, टोंक रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।
2. सुनीता देवी पत्नी कुष्ण कुमार यादव जाति अहीर, निवासी– ग्राम भाग्वरी कलां, तहसील बहरोड, अलवर, राजस्थान।

.....विपक्षीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) सी.पी.सी.

महोदय,

प्रार्थी की ओर से अवमानना प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से

रामलाल मीणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:19:44 IST
Reason: SelfAttested